भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 209

दिनांक 13 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

महिला एवं बाल कल्याण योजनाएं

***209. श्रीमती संध्या राय:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान भिंड-दतिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान योजना, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना तथा अन्य महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं के अंतर्गत जिला-वार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(ख) इन योजनाओं पर उक्त अवधि के दौरान उक्त निर्वाचन क्षेत्र में व्यय की गई धनराशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त निर्वाचन क्षेत्र के अनेक ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इन योजनाओं का लाभ लक्षित/चिन्हित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है और किए गए व्यय और लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के बीच असंगति के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त निर्वाचन क्षेत्र में इन योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कार्य योजना बनाई गई है, कौन-सा संपरीक्षा तंत्र स्थापित किया गया है तथा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ): विवरण सदन पटल पर प्रस्तुत है।

******

"महिला एवं बाल कल्याण योजनाएं" विषय पर श्रीमती संध्या राय द्वारा पूछे गए दिनांक 13.02.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 209 के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित विवरण

(क): भिंड-दतिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मंत्रालय की योजनाओं के तहत लाभार्थियों की जिला-वार जानकारी **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ख): मंत्रालय के मिशनों के तहत, योजना कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी की जाती है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों/जिलों को सीधे निधि जारी नहीं की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य को मंत्रालय के मिशनों के तहत जारी की गई निधि का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग) एवं (घ): मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाएँ केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (सीएसएस) हैं और इनका कार्यान्वयन राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं के लिए बजट आवंटन को अंतिम रूप राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी आवश्यकताओं और विगत वर्षों के व्यय के रुझान के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, सीएसएस के तहत, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को, अपने हिस्से की निधि देना, कुल उपलब्ध निधि का न्यूनतम 75% व्यय करना और व्यय विवरण (एसओई) एवं उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है ताकि मंत्रालय केंद्रीय निधि का हिस्सा जारी कर सके। यदि उपर्युक्त शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो केंद्रीय निधि का जारी करना प्रभावित होता है/इसे जारी करने में विलम्ब होता है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष के अंत में अप्रयुक्त शेष राशि बच जाती है।

निधि के उपयोग सहित योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा नियमित रूप से विभिन्न उच्च स्तरों पर प्रत्यक्ष बैठकों (फिजिकल मीटिंग), वीडियो कॉन्फ्रेंस और फील्ड विजिट के माध्यम से की जाती है।

****

अनुलग्नक-I

“महिला एवं बाल कल्याण योजनाएं” विषय पर श्रीमती संध्या राय द्वारा पूछे गए दिनांक 13.02.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 209 के भाग (क) में उल्लिखित अनुलग्नक

भिंड-दतिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या का जिला-वार विवरण।

<table>
<tr><th>मिशन</th><th>योजना</th><th>श्रेणी</th><th>भिंड जिला</th><th>दतिया जिला</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (31.01.2026 तक)</td><td>गर्भवती महिलाएं</td><td>5800</td><td>3574</td></tr>
<tr><td>स्तनपान कराने वाली माताएं</td><td>6130</td><td>4047</td></tr>
<tr><td>बच्चे (0-6 वर्ष)</td><td>1,17,743</td><td>73,806</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">मिशन वात्सल्य (वित्तीय वर्ष 2024-25)</td><td>संस्थागत देखरेख में लाभार्थी</td><td colspan="2">2303*</td></tr>
<tr><td>गैर-संस्थागत देखरेख में लाभार्थी</td><td colspan="2">20572*</td></tr>
<tr><td rowspan="3">मिशन शक्ति</td><td>वन स्टॉप सेंटर (30.09.2025 तक)</td><td>सहायता प्राप्त महिलाएं</td><td colspan="2">1,33,647*</td></tr>
<tr><td>महिला हेल्पलाइन (31.12.2025 तक)</td><td>सहायता प्राप्त महिलाएं</td><td colspan="2">297922*</td></tr>
<tr><td>प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25)</td><td>भुगतान प्राप्त लाभार्थी</td><td>41,181</td><td>26,280</td></tr>
</table>

*चूंकि लाभार्थियों का जिला-वार विवरण नहीं रखा जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश राज्य के लिए लाभार्थियों की संख्या दी गई है।

अनुलग्नक-II

“महिला एवं बाल कल्याण योजनाएं” विषय पर श्रीमती संध्या राय द्वारा पूछे गए दिनांक 13.02.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 209 के भाग (ख) में उल्लिखित अनुलग्नक

विगत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य को मंत्रालय के मिशनों के तहत जारी की गई निधि का विवरण।

(करोड़ रुपये)

क्र.संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0**	**मिशन वात्सल्य**	**मिशन शक्ति**
1.	2022-23 to 2024-25	3,279.22	225.00	629.1

****